E-mail Id : dgmhtraining@gmail.com

प्रेषक,

महानिदेशक (प्रशिक्षण),
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
(विज्ञापन प्रभाग)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्याः प्रशि0प्रको0 / जी0एन0एम0 / प्रशिक्षण / 2023 / 1316 लखनऊ : दिनांक 15 जून, 2023

विषयः सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण वर्ष 2023 हेतु ऑन–लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या–802 / पांच–8–2016–एन(16) / 2014टी0सी0 लखनऊ, दिनांक 23.08.2016 उत्तर प्रदेश सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण विनियमन अनुदेश–2016 एवं शासनादेश संख्या–123 / पॉच–8–2016–एन(16) / 2014टीसी, दिनांक 02.03.2022 उत्तर प्रदेश सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण विनियमन (द्वितीय संशोधन) अनुदेश–2022 के अनुपालन में सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण वर्ष 2023 के लिये चयन मेरिट के आधार पर किये जाने हेतु ऑन–लाइन आवेदन पत्र दिनांक 01.07.2023 से 31.07.2023 तक आमंत्रित किये जाने हेतु विज्ञापन प्रदेश के व्यापक प्रचार प्रसार वाले तीन प्रमुख **हिन्दी समाचार** पत्रों एवं दो **प्रमुख अंग्रेजी** समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया संलग्न विज्ञापन प्रदेश के तीन प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों एवं दो प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों में जनहित में तत्काल प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : विज्ञप्ति की 05–05 प्रतियां हिन्दी / अंग्रेजी सी0डी0 सहित।

भवदीया,

(डा0 दीपा त्यागी)
महानिदेशक (प्रशिक्षण),
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांकः–प्रशि0प्रको0 / जी0एन0एम0 / प्रशिक्षण / 2023 / 1317 तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक (नियोजन एवं बजट), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को उपरोक्त पत्र की विज्ञप्ति की सूचना सहित इस पत्र के साथ **संलग्न कर** इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाईट पर तत्काल अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(डा0 दीपा त्यागी)
महानिदेशक (प्रशिक्षण),
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

—:विज्ञापन:—

कार्यालय, महानिदेशक (प्रशिक्षण), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांकःप्रशि0प्रको0 / जी0एन0एम0 / प्रशिक्षण / 2023 / 1318 **लखनऊ, दिनांक** 15 **, जून, 2023**

वर्ष 2023 में सामान्य उपचारिका (जी0एन0एम0) में 03 वर्षीय प्रशिक्षण हेतु 09 राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर उपलब्ध 453 रिक्त सीट पर आन–लाईन आवेदन प्राप्त करने हेतु विभागीय वेबसाइट **https://www.dgmhup.gov.in** पर पोर्टल दिनांक 01.07.2023 से 31.07.2023 तक खोला जायेगा।

शैक्षिक अर्हतायेः—	• इन्टरमीडिएट परीक्षा में अंग्रेजी विषय में 40 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। • माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। **अथवा** 10 + 2 व्यवसायिक ए0एन0एम0 प्रशिक्षण (2001 के बाद संशोधित) भारतीय नर्सिंग परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल / संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त तथा ए0एन0एम0 के रूप में उत्तर प्रदेश नर्स तथा धाती परिषद् में पंजीकृत हो। • अभ्यर्थी को इन्टरमीडिएट परीक्षा 10 + 2 अथवा समकक्ष परीक्षा में सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के लिये न्यूनतम अंक 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
आवेदन शुल्कः—	सामान्य वर्ग के लिये रू0 200 / — तथा अनुसूचित जाति / जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये रू0 100 / — निर्धारित है। आनलाईन आवेदन करते समय उक्त भुगतान आनलाईन माध्यम से दर्शाये गये राष्ट्रीयकृत बैंक के भुगतान लिंक के माध्यम से किया जायेगा।
आरक्षणः—	(1) 10 प्रतिशत सीट पुरूष अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित है। (2) शेष उपलब्ध सीटों में 15 प्रतिशत आरक्षण ए0एन0एम0 कार्मिकों को जिन्होने उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में / एन0आर0एच0एम0 / एन0एच0 एम0 के अन्तर्गत कम से कम 05 वर्ष निरन्तर कार्य किया हो। परन्तु यदि उपरोक्त 15 प्रतिशत के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो बची हुई अवशेष सीटों को सीधी भर्ती के पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा। प्रशिक्षण में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण शासनादेश मे निहित प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा। (3) उत्तर प्रदेश से बाहर के आवेदकों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।
आयु सीमाः—	31.12.2022 को 17 वर्ष से 35 वर्ष परन्तु अनुसूचित जाति / जन जाति और ऐसी अन्य श्रेणियों हेतु राज्य सरकार की लागू अधिकतम आयु की सीमा तक।
चयनः—	अभ्यर्थी के हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट परीक्षा के प्राप्त अंको के प्रतिशत के औसत के अनुसार श्रेष्ठता सूची (मेरिट) के अनुसार किया जायेगा।

सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण सम्बन्धी समस्त अनुदेश एवं निर्देशों के साथ विस्तृत जानकारियां विभागीय वेबसाईट **https://www.dgmhup.gov.in** पर उपलब्ध है।

(डा0 दीपा त्यागी)
महानिदेशक (प्रशिक्षण),
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

–:Advertisement:–

Office of the Director General (Training), Medical Health & Family Welfare, Uttar Pradesh, Lucknow

Letter No:-Training Cell / GNM / Training / 2023/1318 **Lucknow, Date 15 /06 /2023**

Online applications are invited for 3 years training of General Nurse Midwifery against the vacant **453 seats** for the year 2023 at 9 Govt. Training Centers w.e.f. 01-07-2023 to 31-07-2023 on departmental websites https://www.dgmhup.gov.in

Educational Qualification	• Intermediate examination with 40% marks in ENGLISH is mandatory. • Candidate should have passed High School and Intermediate examinations with science in High School and Intermediate examination, by U.P Board or equivalent. **or** 10+2 professional ANM training (Amended after 2001) from Schools / Institutions affiliated with Indian Nursing council and registered with State Medical Faculty of Uttar Pradesh Lucknow Candidates (General/OBC) should have minimum aggregate of **45%** marks and candidates (SC/ST) should have minimum aggregate of **40%** marks in 10+2 U.P. Board or equivalent Board.
Application Fee	For General Category **Rs. 200/-** and for SC/ST & OBC category Rs. **100/-** is fixed. Fee to be paid online, while applying for application.
Reservation	1- **10%** seats are reserved for Male Candidates 2- Out of remaining seats, **15%** seats will be reserved for ANM who are serving for last **5 years** in Medical & Health Department / NHM/ NRHM of Uttar Pradesh. But, if above mentioned **15%** seats are not filled by eligible candidates then remaining seats will be filled by remaining eligible applicants. Reservation in training for SC/ST/OBC and others will be applied according to the Government Order. 3- Applicant form outside the State of Uttar Pradesh will not be given the benefit of reservation.
Age Limit	As on 31.12.2022 age of candidates should be **17 years to 35 years**. But age limit for SC/ST & other will be relaxed according to the Government Order.
Selection	Merit will be prepared on the basis of average of the % marks obtained in High School and Intermediate examination.

All the concern Government Orders and concern Instructions and detailed information will be available at departmental websites **https://www.dgmhup.gov.in**

(Dr. Deepa Tyagi)
Director General (Training),
Medical Health & Family Welfare,
Uttar Pradesh, Lucknow